अध्याय – 7
वाहनों पर कर

अध्याय – 7

वाहनों पर कर

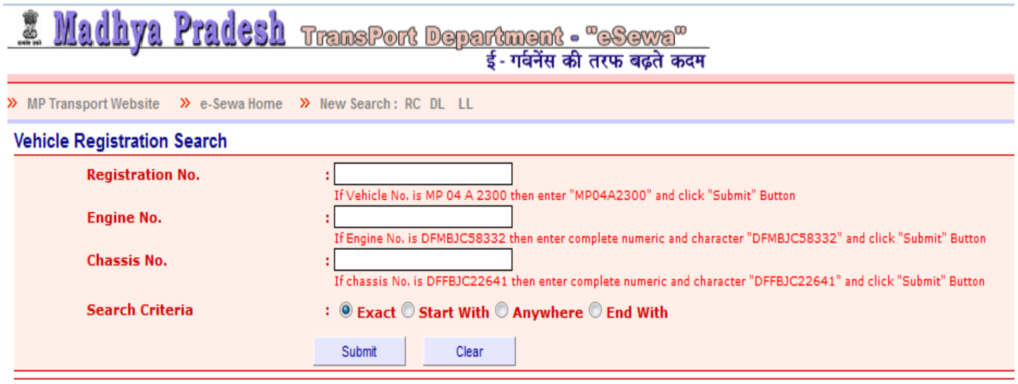

7.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है। चालक अनुज्ञप्ति/परमिट का जारी किया जाना एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण, परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है। मैदानी स्तर पर 10 संभागीय परिवहन उपायुक्त, 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.), 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), विभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं।

विभाग का संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है :

चार्ट 7.1 : संगठनात्मक ढाँचा

वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन किया जाता है :

- मोटरयान अधिनियम, 1988 ;
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 ;
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 तथा
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम (नियम), 1994

7.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी संगठन को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1992 में परिवहन आयुक्त के सीधे नियंत्रण में की गई थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाही करने हेतु अनुदेश जारी करने के उद्देश्य के साथ संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त) के पर्यवेक्षण में निष्पादित की जा रही है।

वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा 40 इकाईयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरूद्ध केवल 20 इकाईयों की लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। विभाग द्वारा बताया गया कि स्टॉफ की कमी होने के कारण शेष 20 इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा वाहनों पर कर व शास्ति के अनारोपण, वाहनों की फिटनेस, विभागीय आय, लोक लेखा समिति की लंबित कंडिकाएं

तथा अन्य आपत्तियाँ ली गईं थीं। लेखापरीक्षित इकाईयों को आपत्तियों का अनुपालन करने तथा नियमों के अनुसार रजिस्टर/रिटर्न संधारित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

7.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015–16 के दौरान वाहनों पर कर से संबंधित 51 में से 28 इकाईयों (परिवहन आयुक्त कार्यालय क्षे.प.का.–08, स.क्षे.प.का.–5 एवं जि.प.का.–14) जिसमें ₹ 3,776.09 करोड़ का कुल राजस्व अन्तर्निहित था, की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 42.37 करोड़ के 63,869 प्रकरण अवलोकित किये, जो **तालिका 7.1** में निम्नलिखित श्रेणीयों के अंतर्गत दर्शाये गये हैं :–

तालिका 7.1

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	6,386	24.28
2.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	2,805	7.01
3.	मैक्सी कैब वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	2,725	4.10
4.	अन्य	51,953	6.98
	योग	**63,869**	**42.37**

चार्ट 7.2

लेखापरीक्षा के परिणाम (63,869 प्रकरणों में ₹ 42.37 करोड़ की राशि अंतर्निहित है)

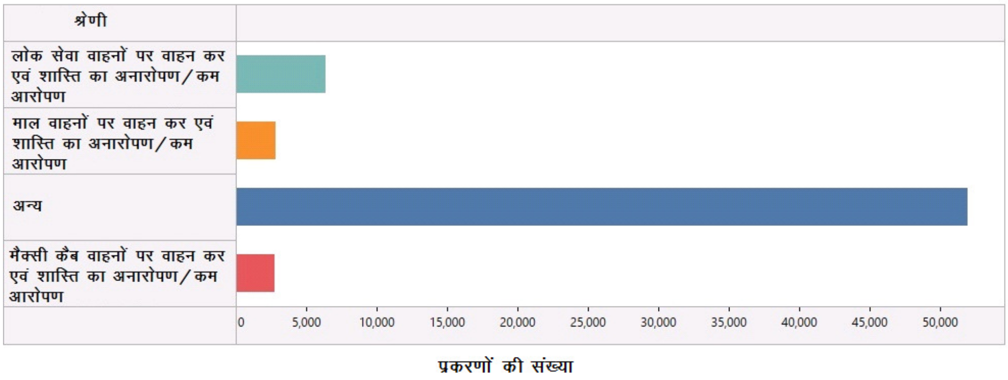

लेखापरीक्षा प्रेक्षण विभाग को प्रेषित किये गये। वर्ष के दौरान विभाग ने 263 प्रकरणों में ₹ 26.99 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 9 प्रकरणों में ₹ 2.81 लाख की वसूली प्रतिवेदित की गई।

इस अध्याय में शामिल की गई कंडिकाओं पर चर्चा करने के लिए 20 सितम्बर 2016 व 30 सितम्बर 2016 को विभाग के साथ दो बैठकें आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभाग द्वारा दिये गये उत्तरों को संबंधित कंडिकाओं में शामिल कर लिया गया है।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रकरण जिसमें ₹ 24.77 करोड़ की राशि सन्निहित है, की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

7.4 वाहन कर व शास्ति की प्राप्ति न होना

आरक्षित यानों के रूप में रखे गये लोक सेवा यानों, माल यानों, मैक्सी कैब यानों, मंजिली गाड़ियों, अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र पर प्रचालित लोक सेवा यानों तथा अर्थमूवर/हार्वेस्टर पर वाहन कर ₹ 13.09 करोड़ तथा शास्ति ₹ 9.14 करोड़ का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसके माँग पत्र जारी किये गये पाये गये।

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 (1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य में उपयोग लाए गये या राज्य में उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उदग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची के मद क्रमांक 5(अ) में विर्निदिष्ट दर से किया जायेगा। यदि वाहन स्वामी द्वारा वाहन के देय कर का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा–13 के प्रावधानों के अनुसार, वाहन स्वामी, कर की असंदत्त रकम पर प्रति माह चार प्रतिशत की दर से शास्ति के लिए दायी होगा जो कि असंदत्त कर की रकम के दुगने से अधिक नहीं होगी।

हमने अनुज्ञापत्र जारी पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन जमा पंजी तथा कम्प्यूटर डाटाबेस की जाँच की (अप्रैल 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य) और पाया कि अप्रैल 2010 एवं मार्च 2015 के मध्य की अवधि के लिये नमूना जाँच किये गये 11,916 वाहनों में से 4,031 वाहनों पर अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के लिए वाहन कर का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसके लिए माँग पत्र जारी किये गये। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.09 करोड़ के कर की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त असंदत्त कर की रकम पर ₹ 9.14 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई थी। इस प्रकार **तालिका 7.2** में दर्शाये अनुसार ₹ 22.23 करोड़ की राशि की प्राप्ति नहीं हुई।

तालिका 7.2

वाहन कर व शास्ति की प्राप्ति न होना

(₹ करोड़ में)

वाहनों के प्रकार/चूककर्ता वाहनों की संख्या	शामिल कार्यालयों की संख्या	कर जो प्राप्त नही किया गया	कर का भुगतान न करने पर शास्ति	योग
आरक्षित वाहन के रूप में रखा लोक सेवा यान 660	8 क्षे.प.कार्या. 4 स.क्षे.प.कार्या. 13 जि.प.कार्या. कुल 25 कार्यालय[1]	4.27	2.97	7.24
माल यान 1550	8 क्षे.प.कार्या. 5 स.क्षे.प.कार्या. 13 जि.प.कार्या. कुल 26 कार्यालय[2]	3.43	2.57	6.00

[1] **क्षे.प.कार्या.** भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन
स.क्षे.प.कार्या. छतरपुर, छिंदवाड़ा, गुना तथा सतना
जि.प.कार्या. अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, दमोह, देवास, हरदा, झाबुआ, मंडला, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम तथा शिवपुरी

[2] **क्षे.प.कार्या.** भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन

मैक्सी कैब/टैक्सी कैब 885	5 क्षे.प.कार्या. 2 स.क्षे.प.कार्या. 10 जि.प.कार्या. कुल 17 कार्यालय[3]	1.52	1.09	2.61
मंजिली गाड़ी 213	7 क्षे.प.कार्या. 2 स.क्षे.प.कार्या. 7 जि.प.कार्या. कुल 16 कार्यालय[4]	1.41	0.89	2.30
अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र पर प्रचालित वाहन 57	4 क्षे.प.कार्या. 3 स.क्षे.प.कार्या. 2 जि.प.कार्या. कुल 9 कार्यालय[5]	1.20	0.85	2.05
अर्थमूवर/हार्वेस्टर 666	5 क्षे.प.कार्या. 4 स.क्षे.प.कार्या. 6 जि.प.कार्या. कुल 15 कार्यालय[6]	1.26	0.77	2.03
योग – 4031		**13.09**	**9.14**	**22.23**

हमने प्रकरण, शासन तथा विभाग को दिसम्बर 2015 से अप्रैल 2016 के बीच प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अभियुक्तिओं को एक बैठक (सितम्बर 2016) में स्वीकार किया तथा ₹ 1.24 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित की (अक्टूबर 2016)।

7.5 शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों के लिए लागू दरों से निजी सेवा यानों पर कर का गलत आरोपण

155 निजी सेवा यानों के संबंध में वाहन कर त्रुटिपूर्ण ढंग से शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों के लिए लागू दर से लगाया गया था। वाहन कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ के कम राजस्व की प्राप्ति हुई।

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 (11) के अनुसार शैक्षणिक वाहन से तात्पर्य उस वाहन से है जो महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था के स्वामित्व में हो तथा जिसका पूर्णतः शैक्षणिक संस्था के छात्रों या शैक्षणिक संस्था के कर्मचारियों के लिए संस्था की गतिविधियों के संबंध में परिवहन हेतु उपयोग हो। इन वाहनों पर ₹ 30 प्रति सीट प्रति तिमाही (अक्टूबर 2014 से ₹ 3 प्रति सीट प्रति तिमाही) की रियायती दर से करारोपण किया जायेगा।

स.क्षे.प.कार्या. छतरपुर, छिंदवाड़ा, गुना, सतना तथा सिवनी
जि.प.कार्या. अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, दमोह, देवास, हरदा, झाबुआ, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन तथा रतलाम

[3] क्षे.प.कार्या. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा तथा उज्जैन
स.क्षे.प.कार्या. सतना तथा सिवनी
जि.प.कार्या. अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, दमोह, हरदा, झाबुआ, मंडला, नीमच, रायसेन तथा रतलाम

[4] क्षे.प.कार्या. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन
स.क्षे.प.कार्या. छिंदवाड़ा तथा सिवनी
जि.प.कार्या. बड़वानी, दमोह, झाबुआ, नीमच, पन्ना, रतलाम तथा शिवपुरी

[5] क्षे.प.कार्या. ग्वालियर, इंदौर, मुरैना तथा सागर
स.क्षे.प.कार्या. छतरपुर, छिंदवाड़ा तथा सिवनी
जि.प.कार्या. देवास तथा शिवपुरी

[6] क्षे.प.कार्या. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा तथा उज्जैन
स.क्षे.प.कार्या. छतरपुर, गुना, सतना तथा सिवनी
जि.प.कार्या. झाबुआ, मंडला, नीमच, रायसेन, रतलाम तथा शिवपुरी

आगे, केन्द्रिय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 (33) के अनुसार निजी सेवा यान से तात्पर्य उस वाहन से है जो वाहन चालक को छोड़कर, छह से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित की गई हो तथा ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से उसे अपने व्यापार या कारोबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों को किराए अथवा पारितोषिक पर न होकर अन्यथा ले जाने के लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता हो। अधिनियम की प्रथम अनुसूची की धारा 7 के अनुसार, इन वाहनों पर ₹ 450 प्रति सीट प्रति तिमाही (अक्टूबर 2014 से ₹ 480 प्रति सीट प्रति तिमाही) की दर से करारोपण किया जायेगा।

हमने 11 कार्यालयों[7] में अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के बीच की अवधि के लिए अनुज्ञापत्र जारी पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन जमा पंजी तथा कम्प्यूटर डाटाबेस की जाँच (मई 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) की। हमने 1,425 वाहनों की नमूना जाँच की और पाया कि 155 निजी सेवा यानों पर वाहन कर का भुगतान "शैक्षणिक संस्था के यान" के लिए निर्धारित दर से किया गया। कराधान प्राधिकारियों द्वारा गलत दर से कर का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ के कम यान कर की प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला परिवहन अधिकारी, रायसेन ने बताया (मई 2016) कि वसूली हेतु माँग पत्र जारी किये जा रहे हैं। क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, उज्जैन द्वारा 91 में से 90 मामलों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार नहीं किया गया और कहा (जून 2016) कि वाहन मालिकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों से पट्टा करार किया गया है। हम क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, उज्जैन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि पट्टा करार की प्रतिलिपि न तो लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत की गई, और ना ही उत्तर के साथ प्रेषित की गई।

हमने प्रकरण, शासन तथा विभाग को दिसम्बर 2015 से अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में बताया गया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से संबंधित मामलों में जानकारी प्रतिक्षित है, जबकि शेष मामलों में वसूली प्रगति पर थी (सितम्बर 2016) ।

7.6 मंजिली गाड़ी अनुज्ञा पत्र पर प्रचालित यानों पर यान कर व शास्ति का कम आरोपण

मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र पर प्रचालित 80 लोकसेवा यानों के यान कर ₹ 33.72 लाख का भुगतान न तो यान स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई माँग पत्र जारी किये गये। करों का भुगतान नहीं करने के लिए ₹ 17.21 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 (1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य में उपयोग लाए गये या राज्य में उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उदग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विर्निदिष्ट दर से किया जायेगा। लोक सेवा यानों के मामलों में, कर की गणना वाहन की बैठक क्षमता तथा अनुमत्य मार्ग की दूरी के आधार पर की जायेगी। यदि वाहन के देय कर का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा–13 के प्रावधानों में निर्दिष्ट दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने आठ कार्यालयों[8] में अप्रैल 2009 से मार्च 2015 की अवधि के लिए 1,305 यानों की अनुज्ञापत्र जारी पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन जमा पंजी तथा कम्प्यूटर

[7] **क्षे.प.कार्या.** इंदौर, उज्जैन तथा रीवा
स.क्षे.प.कार्या. छतरपुर तथा सतना ,
जि.प.कार्या. बड़वानी, देवास, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन तथा रतलाम

[8] **क्षे.प.कार्या.** इंदौर, जबलपुर तथा रीवा

डाटाबेस से जाँच (अप्रैल 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) की। यह पाया गया कि 80 यानों के संबंध में वाहन स्वामियों द्वारा यान कर का कम भुगतान किया गया था। कम दर से यान कर के भुगतान का कारण, वाहन स्वामियों द्वारा यानकर की गलत दर से गणना करना था। यद्यपि वाहन–वार अद्यतन डाटा विभाग के पोर्टल *http://www.mptransport.org* पर ऑन–लाईन उपलब्ध था, फिर भी कराधान प्राधिकारी, वाहन स्वामियों द्वारा कम भुगतान के प्रकरण पता लगाने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, वाहन कर ₹ 33.72 लाख का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 17.21 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमने प्रकरण, शासन तथा विभाग को दिसम्बर 2015 से अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में ₹ 56,000 की वसूली सूचित की गई, जबकि शेष प्रकरणों के बारे में बताया गया कि वसूली प्रगति पर थी।

7.7 लोकसेवा यानों की बैठक क्षमता के त्रुटिपूर्ण आकलन के कारण यानकर का कम आरोपण

सत्तावन वाहन उनकी व्हील बेस व मॉडल के अनुसार निर्धारित बैठक क्षमता से दो से लेकर छह सीट तक कम बैठक क्षमता के लिए पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत किये गये थे। जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 40.08 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई।

मोटर यान नियम, 1994 के नियम 158 (3) तथा परिवहन आयुक्त द्वारा 31 मई 2005 को जारी निर्देशों के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी द्वारा बसों की बैठक क्षमता का निर्धारण, संबंधित वाहन के व्हील बेस/मॉडल के आधार पर मोटरयान अधिनियम प्रावधानों के तहत किया जायेगा।

हमने आठ कार्यालयों[9] में अप्रैल 2011 से मार्च 2015 की अवधि के लिए अनुज्ञापत्र जारी पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन जमा पंजी तथा कम्प्यूटर डाटाबेस से जाँच (मई एवं अगस्त 2015 के मध्य) की और पाया कि 57 वाहनों को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उनके व्हील बेस और मॉडल के अनुसार निर्धारित बैठक क्षमता से कम बैठक क्षमता में पंजीकृत किया गया था। वाहनों को दो से लेकर छह सीट तक कम बैठक क्षमता के लिए पंजीकृत किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 40.08 लाख के कम वाहन कर का आरोपण हुआ।

हमने प्रकरण, शासन तथा विभाग को दिसम्बर 2015 से अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि वसूली प्रगति पर थी।

7.8 व्यापार शुल्क का आरोपण न किया जाना

अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के बीच पंजीकृत 32,345 दो पहिया वाहनों तथा 6,714 चार पहिया वाहनों के लिए, वाहनों के डीलरों से व्यापार शुल्क ₹ 29.60 लाख (₹ 50 प्रति दो पहिया वाहन तथा ₹ 200 प्रति वाहन अन्य वाहनों से) वसूलने में विभाग असफल रहा।

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 34 के अनुसार, व्यापार प्रमाणपत्र दिये जाने या नवीनीकरण किये जाने के लिए आवेदन, फार्म 16 में नियम 81 में निर्दिष्ट उचित फीस (₹ 50 प्रति दो पहिया वाहन तथा ₹ 200 प्रति अन्य वाहन) के साथ किया जायेगा। परिवहन आयुक्त द्वारा नियम 81 के तहत प्रत्येक वाहन के लिए व्यापार

[9] **जि.प.कार्या.** बडवानी, दमोह, मंडला, नीमच तथा रतलाम
क्षे.प.कार्या. उज्जैन
जि.प.कार्या. बडवानी, दमोह, देवास, झाबुआ, मंडला, रायसेन तथा रतलाम

प्रमाणपत्र नवीनीकरण/जारी करते समय व्यापार शुल्क आरोपण के लिए निर्देशित (जनवरी 2012) किया गया था।

हमने तीन कार्यालयों[10] के वाहन पंजीकरण डाटा तथा व्यापार पंजीकरण प्रमाण–पत्र/व्यापार शुल्क पंजी के जाँच (मार्च 2015 से अक्टूबर 2015 के मध्य) में पाया कि अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के मध्य विभिन्न पंजीकृत डीलरों द्वारा 39,059 वाहन विक्रय किये गये थे जिन पर व्यापार शुल्क ₹ 29.60 लाख का आरोपण व वसूली कराधान प्राधिकारियों द्वारा नही की गई।

हमने प्रकरण, शासन तथा परिवहन आयुक्त को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2015 से अप्रैल 2016 के बीच)। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में बताया गया कि वसूली प्रगति पर थी।

7.9 विलम्ब से की गई कर की अदायगी पर शास्ति प्राप्त न होना

वाहन स्वामियों द्वारा 130 वाहनों के संबंध में वाहन कर का भुगतान एक से लेकर 81 महीने तक विलंब से किया गया था। तथापि, ₹ 13.31 लाख की शास्ति की माँग, न तो कराधान प्राधिकारियों द्वारा वाहन स्वामियों से कर के साथ की गई और न ही स्वामियों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी मोटर यान के संबंध में देय कोई कर, धारा 5 में विर्निदिष्ट नियत दिनांक को संदत्त नही किया गया है, तो स्वामी, देय कर के अतिरिक्त, असंदत्त रकम के चार प्रतिशत प्रति माह की दर से शास्ति के लिए भी दायी होगा जो कर की असंदत्त रकम के दुगने से अधिक नहीं होगी। कर का भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में, कराधान प्राधिकारी माँग पत्र जारी करेगा तथा बकाया की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भाँति करेगा।

हमने ग्यारह क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालयों[11] के अभिलेखों[12] की जाँच की (मई 2015 से मार्च 2016 के मध्य) तथा पाया कि जाँच किये गये 2,638 यानों में से 130 यानों के अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के बीच के कर का भुगतान स्वामियों द्वारा एक से लेकर 81 माह के विलम्ब से किया गया था। तथापि, ₹ 13.31 लाख की शास्ति की माँग, न तो कराधान प्राधिकारियों द्वारा कर के साथ की गई और न ही स्वामियों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

हमने प्रकरण, शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015 से जून 2016 के मध्य)। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में ₹ 2.79 लाख की वसूली प्रतिवेदित की, तथा शेष प्रकरणों के बारे में विभाग ने बताया कि संबंधित कार्यालयों से जानकारी प्रतीक्षित थी।

---

[10] **जि.प.कार्या.** दमोह, रायसेन तथा रतलाम

[11] **क्षे.प.कार्या.** सागर, रीवा तथा उज्जैन
स.क्षे.प.कार्या. सतना
जि.प.कार्या. बडवानी, दमोह, झाबुआ, मंडला, पन्ना, रायसेन तथा रतलाम

[12] माँग व वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी पंजी, साथ ही कम्प्यूटर डाटा बेस